दिनांक 25.04.2022 को आयोजित जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की कार्यवत्ति :-

दिनांक 23.04.2022 को जिलाधिकारी महोदय के कैम्प कार्यालय पर आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश के कम में दिनांक 25.04.2022 को प्रातः 10.15 बजे से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अधिशासी अभियन्ता,ग्रा0अ0वि0, सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, श्री शत्रुघ्न कुमार व श्री अमित सिंह सहायक अभियन्ता जल निगम, श्री शम्शेर आलम परियोजना प्रबन्धक एल0 एण्ड टी0, जल निगम षष्टम निर्माण खण्ड के अवर अभियन्तागण तथा सहयोगी संस्था के सदस्यगण उपस्थित थे।

समीक्षा में पाया गया कि सीवों पाइप पेयजल परियोजना तथा रसना अन्तर्गत नैपुरा कला पेयजल परियोजना द्वारा जलापूर्ति नही हो रही है। श्री शत्रुघ्न कुमार व श्री अमित कुमार सहायक अभियन्ता,जल निगम द्वारा उक्त सम्बन्ध में अनभिज्ञता जताते हुए कोई जानकारी नहीं दी गई। बैठक में निर्देशित किया गया कि उक्त दोनों पेयजल परियोजनाओं को आज ही ठीक कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एल0एण्ड टी0 संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य कराया जा रहा है। संस्था द्वारा अपर मुख्य अधिकारी(जि0पं0), अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अ0वि0 तथा अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई को बिना अवगत कराये मनमाने ढंग से सडक को काटा जा रहा है तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण दुर्घटना सम्भावित है। अपर मुख्य अधिकारी(जि0पं0) अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अ0वि0 तथा पी0एम0जी0एस0वाई को निर्देशित किया गया कि उनके क्षेत्रान्तर्गत जिन सडकों/ गलियों को तोड़ कर छोड़ दिया गया है उसकी सूची तत्काल अधोहस्ताक्षरी एवं एल0एण्ड टी0 संस्था को उपलब्ध करायें। एल0एण्ड टी0 संस्था खोदी गई सडक/ गलियों का मरम्मत एक सप्ताह के भीतर कराना सुनिश्चित करें। अपर मुख्य अधिकारी (जि0प0) अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अ0वि0 तथा पी0एम0जी0एस0वाई को यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त से सम्बन्धित जो भी शिकायतें हैं उसका विवरण लिखकर आज ही उपलब्ध करायें जिससे कि एल0एण्ड टी0 संस्था द्वारा उसका निराकरण कराया जा सके।

एल0एण्ड टी0 संस्था के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि आगामी 06 माह में जिन-जिन सड़कों/ गलियों को खोदा जाना है उसकी सूची तैयार कर तीन दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित विभाग को भी पूर्व में ही अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त तत्काल उसका मरम्मत कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता,षष्ठम निर्माण खण्ड, जल निगम को निर्देशित किया गया कि एल0एण्ड टी0 संस्था द्वारा जो भी कार्य कराया जा रहा है निरन्तर उसके गुणवत्ता का सत्यापन करायें। कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में जल निगम एवं एल0एण्ड टी0 संस्था संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे, जिसके लिए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

मानव सेवा संस्थान सहयोगी संस्था के सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है विकास खण्ड हरहुआ में उक्त कार्य से सम्बन्धित समस्या के सम्बन्ध में श्री अमित सिंह सहायक अभियन्ता जल निगम को अवगत कराये जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जल निगम द्वारा खण्ड विकास अधिकारी हरहुआ को अवगत कराकर समस्या का निराकरण कराया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री अमित सिंह सहायक अभियन्ता जल निगम द्वारा सहयोगी संस्था के

सदस्यों (आइ0एस0ए0) से बात नहीं की जाती है, जिसके कारण समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त सहायक/अवर अभियन्ताओं को निर्देशित करें कि वे स्वयं को आवंटित विकास खण्ड कार्यालय पर अपना मुख्यालय बनायें तथा ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण के उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी से मिलकर पेयजल से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण करायें। अधिशासी अभियन्ता जल निगम षष्टम निर्माण खण्ड को यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिला पंचायत, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, एल0एण्ड टी0, अपने अधीनस्थ सहायक/अवर अभियन्ताओं तथा सम्बन्धित सहयोगी संस्था के सदस्यों के साथ सप्ताह में कम से कम 01 बार अनिवार्यरूप से बैठक करें तथा प्रकाश में आयी समस्याओं/ शिकायतों का निस्तारण करायें। जल निगम के समस्त सहायक/अवर अभियन्ता जिलाधिकारी महोदय से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही मुख्यालय से बाहर जायेंगे।

जल निगम के सहायक/ अवर अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि भीषण गर्मी के दृष्टिगत पेयजल परियोजनाओं में आई खराबी को तत्काल ठीक कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करायें तथा उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(अभिषेक गोयल)
मुख्य विकास अधिकारी
वाराणसी।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी–वाराणसी।

पत्रांक– 231/ग्रा0पे0का0/ज0जी0मि0–बैठक/2022–23 दिनांक– 26 अप्रैल,2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 – जिलाधिकारी महोदय,वाराणसी की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2 – अपर मुख्य अधिकारी (जि0पं0) वाराणसी।
3 – अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0अ0वि0,वाराणसी।
4 – अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0,वाराणसी।
5 – अधिशासी अभियन्ता,षष्ठम निर्माण खण्ड,उ0प्र0 जल निगम,वाराणसी।
6 – परियोजना प्रबन्धक, एल0एण्ड टी0, अशोक नगर कालोनी–वाराणसी।
7 – श्री शत्रुघ्न कुमार /श्री अमित सिंह सहा0अभि0षष्ठम निर्माण खण्ड,जल निगम, वाराणसी।

मुख्य विकास अधिकारी
वाराणसी।